आपके अंशदान की निरंतरता

ऐसी कोई निर्धारित निरंतरता नहीं है जिस पर आप अंशदान करेंगे। आप अपनी सुविधा के अनुसार अंशदान कर सकते हैं। आप हर महीने या तीन महीने या छह महीने में या वार्षिक आधार पर अंशदान कर सकते हैं। सारे अंशदान सीधे आपके बैंक खाते से किये जायेंगे।

आपके भारत वापस आने पर

- अपनी भारत वापसी पर आप अपनी संचित R&R बचत एकमुश्त निकाल सकते हैं।
- NPS Lite खाते में की गयी बचतें PFRDA विनियमित पेंशन फंड में निवेशित रहेंगी और आप अपनी पेंशन के लिए अंशदान जारी रख सकते हैं। जब आप 60 साल के हो जायेंगे तब आप अपने NPS Lite खाते से पेंशन पाने लगेंगे।

आपका सूचना का स्रोत

आप **MGPSY** के बारे में किसी प्रश्न या सूचना के लिए–

80046342 (UAE), 1800 113 090 (भारत) (निःशुल्क हेल्प लाईन) पर फोन कर सकते हैं

अधिक जानकारी के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा की अपनी करीबी शाखा या इंडियन वर्कर्स रिसोर्स सेंटर के UAE कार्यालय मे संपर्क करें (3:00PM - 7:00PM कार्य दिवसों पर)।

ई-मेलः inf.mgpsy@moia.nic.in या **help@iwrc-uae.com**

http://www.moia.gov.in.

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय
Ministry of Overseas Indian Affairs
www.moia.gov.in

भारत सरकार का प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय
नौवां तल, अकबर भवन
नई दिल्ली–110 021
टेलिफोनः 1800 113 090 (निःशुल्क)
ई-मेलः inf.mgsy@moia.nic.in
www.moia.gov.in

MAHATMA GANDHI
PRAVASI
SURAKSHA
YOJANA

महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना

***ECR* देशों में ईमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड (*ECR*) पासपोर्ट धारक सभी प्रवासी भारतीय मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना**

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय
Ministry of Overseas Indian Affairs
www.moia.gov.in

प्रवासी भारतीस कार्य मंत्रालय (MOIA)

भारत सरकार

एमजीपीएसवाई के बारे में

एम.जी.पी.एस.वाइ. विशेष रूप से प्रवासी भारतीय श्रमिकों के लिए (ई.सी.आर. देशों के लिए) MOIA द्वारा तैयार की गई सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह एक स्वैच्छिक योजना है। जब आप विदेशों (ECR) में काम कर रहे होते हैं तब यह योजना आपको निःशुल्क जीवन बीमा लाभ प्रदान करती है और अपने पुनर्वास और अपनी वृद्धावस्था पेंशन के लिए नियमित रूप से बचत करने में आपकी सहायता करती है। MOIA आपको आपकी पेंशन, पुनर्वास के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सह–अंशदान भी करेगा और बिना किसी अतिरिक्त लागत के आपको बीमा भी प्रदान करता है।

एमजीपीएसवाई में आपके लाभ

MGPSY से जुड़ने वाले विदेशी प्रवासी श्रमिकों को 3 महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होंगे:–

1. NPS Lite के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन सुरक्षा
2. यूटीआई एएमसी द्वारा आपकी वापसी और पुनर्वास के लिए सेबी द्वारा विनियमित म्यूचुअल फंड (UTI की माहवार आय योजना)
3. LIC द्वारा जीवन बीमा व्याप्ति लाभ

एमजीपीएसवाई में आपकी पात्रता के मापदंड

18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के भारतीय श्रमिकों जिनके पासपोर्ट पर इमिग्रेशन चेक रेक्वॉयर्ड (ECR) की मुहर लगी हो और जो या तो ECR देश में अस्थायी नौकरी या अनुबंध वीजा पर कार्य कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, **MGPSY** में नामांकन के पात्र हैं।

मंत्रालय से सह–अंशदान समर्थन

ग्राहक	प्रति ग्राहक प्रति वर्ष न्यूनतम बचत	प्रति ग्राहक प्रति वर्ष मंत्रालय का योगदान	प्रति ग्राहक प्रति वर्ष कुल बचत
महिला श्रमिक	₹ 5,000	₹ 2,000+900	₹7,900
पुरुष श्रमिक	₹ 5,000	₹ 1,000+900	₹ 6,900

MGPSY में मंत्रालय का सह–अंशदान *NPS Lite* और *RNR* दोनों योजनाओं में ग्राहक के आवश्यक अंशदान करने पर निर्भर है। यह अंशदान अधिकतम पांच वर्ष या नौकरी की अवधि भर जो भी पहले आये, लागू होगा।

MGPSY में आपका सेवा प्रदाता

MGPSY के अंतर्गत ग्राहक से संबंधित सभी सेवाएं आपको मंत्रालय द्वारा नियुक्त सेवा प्रदाता, एक एजेंसी जो प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट (POE) कार्यालय से या अपने स्वयं के कार्यालय से काम करेगी और आपका **MGPSY** में नामांकन करेगी, प्रदान करेगा। इस तरह की एजेंसियों (सेवा प्रदाताओं) से संबंधित ब्योरे आपके करीबी पीओई कार्यालय से या **MGPSY** के निःशुल्क फोन नं. *1800-113090* पर फोन करके प्राप्त किये जा सकते हैं।

एमजीपीएसवाई से जुड़ने की प्रक्रिया

1. नामांकन के लिए आपके सेवा प्रदाता द्वारा स्थापित एन्रोलमेंट स्टेशन पर आने की आवश्यकता होती है।
2. कृपया पासपोर्ट साइज के 3 फोटो और अपने पासपोर्ट और अपने पते के प्रमाण की फोटो कॉपी प्रतियां लायें।
3. सुनिश्चित करें कि आपका वैध बैंक खाता है और अपनी पासबुक / चेकबुक साथ लायें।
4. आपको प्रणाली द्वारा उत्पन्न MGPSY आवेदन प्रपत्र और MGPSY में अपने अंशदान के विवरण पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है।
5. पहले से विदेश में काम कर रहे अंशदाताओं के लिए भारत में NRI / NRO खाता खोलना आवश्यक है।
6. यदि आपके पास बैंक खाता नहीं है तो सेवा प्रदाता आपका खाता खुलवाने में सहायता प्रदान करेगा।

pfrda

वृद्धावस्था में आपकी पेंशन

MGPSY में आपकी पेंशन PFRDA विनियमित NPS-Lite योजना के माध्यम से प्रदान की जाती है। यह भारतीय श्रमिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत एक विशेष योजना है।

यह योजना अपकी वृद्धावस्था के लिए बचत करने में आपकी मदद करेगी। आपकी वृद्धावस्था बचत का प्रबंधन सार्वजनिक क्षेत्र के विश्वसनीय पेंशन फंड करेंगे। जहां आप अपने पेंशन खाते में ₹1,000 से ₹12,000 तक की बचत करेंगे वहीं मंत्रालय की ओर से अपने NPS Lite खाते में पुरुषों के मामले में ₹1,000 और महिलाओं के मामले में ₹2,000 का अंशदान प्राप्त करेंगे।

uti
UTI Mutual Fund

आपकी वापसी और पुनर्वास (R&R) बचत

आपके भारत वापस आने के तुरंत बाद की आपकी मौद्रिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए MGPSY का प्रदाता आपको RNR बचत के रूप में एक विकल्प प्रदान करता है। R&R खाते में आपकी बचत का प्रबंधन भारत का सबसे पुराना वित्तीय संस्थान, UTI AMC करेगा। यह योजना एक समयावधि में अपने पुनर्वास संबंधी अल्पकालिक खर्चों को पूरा करने के लिए धन बचाने में आपकी सहायता करेगी। जहाँ आप इस योजना में ₹4,000 की बचत करेंगे वहीं अपने R&R खाते में मंत्रालय की ओर से ₹900 का सह–अंशदान प्राप्त करेंगे।

LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

आपका बीमा कवर

MGPSY में नामांकित प्रवासी भारतीय श्रमिक के रूप में आपको जनश्री बीमा योजना के अंतर्गत एक निःशुल्क बीमा लाभ प्रदान किया जायेगा। बीमा व्याप्ति आप पर तभी तक लागू होगी जब तक आप ECR देश में काम कर रहे होंगे। आप इस योजना में निम्नलिखित लाभ प्राप्त करेंगे–

- स्वाभाविक मृत्यु की स्थिति में LIC द्वारा आपके परिवार को ₹30,000 का भुगतान किया जायेगा।
- दुर्घटना की स्थिति में LIC द्वारा आपको या आपके परिवार को, जैसी भी स्थिति होगी, ₹75,000 का भुगतान किया जायेगा।
- यदि आप किसी दुर्घटनावश पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से विकलांग हो जाते हैं तो आपको ₹37,500 का भुगतान किया जायेगा।

आपकी बचत में वृद्धि

बचतों का प्रबंधन मंत्रालय द्वारा नियुक्त प्रतिष्ठित वित्तीय संस्थानों द्वारा किया जायेगा। व्यापक रूप से सरकारी बॉडों में निवेश किया जायेगा और PFRDA और सेबी (आपके हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित दो एजेंसियां) के नियमों के अनुसार आपकी बचत के छोटे–से हिस्से को बड़ी कंपनियों के शेयरों में निवेश किया जायेगा–

NPS Lite और UTI MIS में आपकी बचतें जिस दर से बढ़ेंगी वह दर निर्धारित या प्रत्याभूत नहीं हैं। योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ बाजार संचालित हैं।